

312

Entry Disposal

38

199

54

135

महाराष्ट्र शासन

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी का

न्यायानय, धनवाद

प्रमाण-पत्रवाद सं० 13/99-2000

बनेजर सिन्धी बँक शाखा नं०

गोतम कुमार

पिता श्री हरि पदा

ग्राम श्री पं० - कापडा - जिला - पुरंदर - से

रुपये 5558/- की वसूली हेतु अधिदाचन पत्र दायर किया है।

हरमोसलन विवरण के अलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मांग वसूली योग्य है। इसकी वसूली विधि वजित नहीं है। लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 4 के अंतगत मैं संतुष्ट हूँ। इसे पंजी 50 में दर्ज करें। अधिदाची पदाधिकारी ने कोर्ट फीस 26/- (सात रुपये मात्र) रुपये का दाखिल किया है जिसका विवरण परिशिष्ट में अंकित है।

धारा 6 के अंतगत प्रमाण-पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना जारी करें।

अपिलेट दिनांक को प्रस्तुत करें।

3000 x 2200
1520 x 1200
75 x 1 = 75
1 x 1 = 1

पदाधिकारी,

प्रमाण-पत्र

धनवाद

6191

अभिमान के अभाव में ही प्रतीत होता है कि इनके बहुत दिनों से कोर्ट का दरवाजा नहीं था। यह अभिमान प्रमाणपत्र पदाधिकारी के लिये ही है जो 99 की है। प्रमाणपत्र देनदार के माक पुत्र। अतः देनदार के माक पुत्र। अतः 7 की माक पुत्र के लिए है।

अभिमान

से 12/99

494316

1-8-06

अभिलेख उपस्थापित।

विशेष करें। देण्डा के विरुद्ध धारा-7

क्रि. 1-9-06 को करें।

13.9.11

अभिलेख उपस्थापित।

देण्डा के विरुद्ध धारा 7 के अंतर्गत दण्डा
के लिए क्रि. 1-9-06 को करें।

अं० अं०

2-3-12
28/8/12

अभिलेख उपस्थापित। देण्डा को धारा-7 का अभिलेख
दिखा गया है। नगरपालिका प्रमुख को लिखा है। देण्डा इस अभिलेख
वाक्य का भी अभिलेख उपस्थापित।

अं० अं०

29/7/12
13/08/2023

उपस्थापित।

धारा 7-7-12 के द्वारा अभिलेख दिखा गया
उत्तरे उल्लेख किया है कि दिनांक 12.4.1999 में भारतीय स्टेट बैंक
अभि. प्र. शाखा से ब्याज दरिया का अभिलेख रखा है। अभिलेख प्रमाण
संगत है। नगरपालिका वाद की कार्रवाई समाप्त कि जाती है।

13/08/2023
अं० अं०